कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3 / 2025 / 2705 लखनऊ:दिनांक 10/11/ 2025

यू0पी0 नीट यू0जी0 2025 के अन्तर्गत स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना/दिशा–निर्देश।

1. स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें यू0पी0 नीट यू0जी0–2025 के किसी भी चक्र की काउन्सिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
2. स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड हेतु नीट यू0जी0–2025 की ऑल इण्डिया काउंसिलिंग एवं अन्य राज्यों की काउंसिलिंग के किसी भी चक्र के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे।
3. यू0पी0 नीट यू0जी0–2025 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र से Admitted/Not Reported after allotment/Resigned अभ्यर्थी स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड हेतु अर्ह नहीं हैं।
4. स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को पृथक से रू0 2,000/– पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा मे वापस नहीं किया जायेगा, अर्थात् Non Refundable होगा।
5. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में पंजीकृत एवं अनावंटित, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में धरोहर धनराशि जमा की गयी है, उन्हें स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
6. ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व चक्रों की काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है एवं प्रथम बार स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन्हें नियमानुसार धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।
7. यू0पी0 नीट यू0जी0–2025 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसिलिंग से बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड की एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की च्वाइस फिलिंग हेतु अर्ह होंगे, ऐसे अभ्यर्थी नियमानुसार राजकीय/निजी क्षेत्र के एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु देय धरोहर धनराशि नियमानुसार ऑनलाइन माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित तालिका के अनुसार धरोहर धनराशि आनलाइन प्रकिया के माध्यम से जमा करायी जायेगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं की जायेगी, वह च्वाईस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे :–

क0सं0	विवरण	धरोहर धनराशि (Security Money)
1	राजकीय क्षेत्र की मेडिकल/डेण्टल पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	रू0 30,000 (रु0 तीस हजार मात्र)
2.	निजी क्षेत्र की मेडिकल पाठ्यक्रम सीटों हेतु	रू0 2,00,000 (रु0 दो लाख मात्र)
3.	निजी क्षेत्र की डेण्टल पाठ्यक्रम सीटों हेतु	रू0 1,00,000 (रु0 एक लाख मात्र)

9. ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी (मेडिकल एवं डेन्टल) दोनों क्षेत्र की सीटों हेतु काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहतें है, उन्हें रू0 2,00,000/– की धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।
10. ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्र की डेन्टल कालेजो की सीटों हेतु काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहतें है, उन्हें रू0 1,00,000/– की धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।
11. ***काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है, कि धरोहर धनराशि जमा करते समय अपने स्वयं के बैंक खाते का उपयोग करें, समस्त चक्र की काउन्सिलिंग समाप्त होने के उपरान्त् अनावंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थियों की धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते मे नियमानुसार वापस की जायेगी, जिस खाते से धरोहर धनराशि का भुगतान किया गया है।***
12. नीट यू0जी0–2025 में अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण के समय https://upneet.gov.in पर अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु किसी एक नोडल सेन्टर का चयन करना होगा। अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेन्टर की सूची यू0पी0 नीट यू0जी0 2025 के ब्रोशर में दी गयी है।
13. अभिलेखों के ऑनलाईन सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित अभिलेख https://upneet.gov.in पर अपलोड किये जायेंगे :–
    - हाईस्कूल मार्कशीट/प्रमाण–पत्र

- ➢ इण्टरमीडिएट मार्कशीट
- ➢ आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (OBC, SC, ST, EWS, & EX. Army, NCC, FF, PwD) (यदि लागू हो)
- ➢ डोमिसाईल सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

14. आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) संबंधी समस्त प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।
15. **उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) के आरक्षण प्रमाण–पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2025 अथवा इसके पश्चात् का ही मान्य होगें।**
16. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र उ0प्र0 शासन द्वारा अद्यतन प्रारूप पर निर्गत करा लें, जिससे कि प्रमाण–पत्र का ऑनलाइन सत्यापन सुविधाजनक रूप से हो सकें।
17. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
18. उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जायेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
19. **यदि कोई अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यू0पी0 नीट यू0जी0 काउंसिलिंग 2026–27 के लिये प्रतिबंधित (Debar) कर दिया जायेगा।**
20. यू0पी0 नीट यू0जी0 2025 का शासनादेश एवं ब्रोशर विभागीय वेबसाइट https://upneet.gov.in तथा https://dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है। **अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।**

कृते महानिदेशक।